सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-09.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स०वि०स० श्री चन्द्र शेखर, स०वि०स० श्री राहुल तिवारी, स०वि०स० श्री शम्भू नाथ यादव, स०वि०स० डॉ० रामानुज प्रसाद, स०वि०स०	"अपार्टमेंट में रह रहे फ्लैट मालिकों के द्वारा एक ऐसोसिएशन का गठन कर अपार्टमेंट की देखरेख की जाती है । सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार इस तरह के एसोसिएशन का सहकारिता एक्ट या कंपनी एक्ट की धारा-8 के अंतर्गत निबंधन किया जा सकता है । सहकारिता एक्ट में एसोसिएशन का निबंधन तभी हो सकता है जब आरक्षण के नियमों का पालन किया गया हो । अपार्टमेंट बिक्री या खरीद में आरक्षण का ध्यान रखा जाना संभव ही नहीं है, ऐसी स्थिति में कोई एसोसिएशन सहकारिता विभाग के अंतर्गत निबंधन नहीं हो सकता है । नतीजतन सहकारिता कानून के तहत राज्य में अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन का निबंधन नहीं हो पा रहा है जिसके कारण तरह-तरह की कानूनी अड़चनें सामने आती है । अत: बिना आरक्षण के नियमों का पालन किये अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन का निबंधन किये जाने का प्रावधान सहकारिता एक्ट में किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	सहकारिता

2. श्री राणा रणधीर, स०वि०स० श्री पवन कुमार जायसवाल, स०वि०स० श्री सुदर्शन कुमार, स०वि०स० श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स०वि०स०	''पूर्वी चम्पारण जिला के पकड़ी दयाल स्वास्थ्य अनुमंडल स्थित अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन वर्ष 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया था । अभी तक उक्त अनुमंडलीय अस्पताल को तकनीकी रूप से अनुमंडलीय अस्पताल का दर्जा नहीं दिया गया है, जिसके कारण लाखों ग्रामीण जनता बेहतर स्वास्थ्य सुविधा से वंचित हैं । अत: पकड़ी दयाल अनुमंडल अस्पताल को तकनीकी रूप से अनुमंडलीय अस्पताल का दर्जा देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-12/2021- 1039 / वि०स०, पटना, दिनांक- 08 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / सहकारिता विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-12/2021- 1039 / वि०स०, पटना, दिनांक- 08 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

8/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
8/3/21